FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत [illegible] मुकाम बांदीकुई

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र नाम दुरुस्ती नं. [illegible] सन 122/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिकासात जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/08/2025	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र नाम शुद्धि का न्यायालय हाजा में दिनांक 04/06/25 को पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा रिपोर्ट पत्रांक 6088 दिनांक 17/07/2025 के द्वारा पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा.पत्र व मौका पर्चा रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से प्रा.पत्र नाम दुरुस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी	

660 122/2025

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई
जिला दौसा

प्रकरण संख्या— 122/2025
प्रकरण दायर दिनांक— 14.08.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक— 14.08.2025

उनवान

1. मनोहरलाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद जाति माली निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट

प्राथीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बास बिवाई पटवार हल्का बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 227 पुराना 221 कुल किता 02 रकबा 0.25 है0 हिस्सा 5/96, खाता संख्या नया 228 पुराना 222 कुल किता 01 रकबा 0.04 है0 हिस्सा 1/12 व खाता संख्या नया 229 पुराना 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 हिस्सा 1/48 जिसमें प्रार्थीगण के पिता नाम प्रसादी पुत्र मांगिया वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त वर्णित राजस्व अभिलेख जमाबंदियों में प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण के दादा का नाम प्रसादी/मांगिया जो बोलता घरेलु उपनाम रहा है वह राजस्व अभिलेख में दर्ज हो रहा है। जबकि प्रार्थीगण के पिता व दादा का सही व वास्तविक नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, जनाधार कार्ड में रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल दर्ज है व प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजात में भी पिता का नाम रामप्रसाद दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 02.04.2024 को व प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु लगभग 50-60 वर्ष पूर्व हो चुकी है। राजस्व रिकॉर्ड में घरेलू बोलता नाम प्रसादी पुत्र मांगिया दर्ज है जिन्हें दोनों ही नामों से जाना जाता रहा है। ऐसी सूरत में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे घरेलू उपनाम प्रसादी पुत्र मांगिया को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के पिता व दादा का सही नाम दस्तावेजों के आधार पर रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी बास बिवाई पटवार हल्का बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 227 पुराना 221 कुल किता 02 रकबा 0.25 है0 हिस्सा 5/96, खाता संख्या नया 228 पुराना 222 कुल किता 01 रकबा 0.04 है0 हिस्सा 1/12 व खाता संख्या नया 229 पुराना 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 हिस्सा 1/48 में हो रही त्रुटि प्रसादी पुत्र मांगिया के स्थान पर वास्तविक नाम सभी अन्य सरकारी दस्तावेजों के अनुसार दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति माली सा.देह खातेदार की प्रविष्टी दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बांदीकुई को आदेशित करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र

Scanned with OKEN Scanner

पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी बास बिवाई पटवार हल्का बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 227 पुराना 221 कुल किता 02 रकबा 0.25 है0 में खातेदार प्रसादी पुत्र मांगिया हिस्सा 5/96, खाता संख्या नया 228 पुराना 222 कुल किता 01 रकबा 0.04 है0 में खातेदार प्रसादी पुत्र मांगिया हिस्सा 1/12 व खाता संख्या नया 229 पुराना 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 में खातेदार प्रसादी पुत्र मांगिया हिस्सा 1/48 दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों से खातेदार प्रसादी पुत्र मांगिया के नाम संशोधन करवाने के संबंध में जानकारी चाही गई जिसमें उपस्थित ने बताया कि प्रार्थीगण के पिता प्रसादी व दादा मांगिया जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है वह घरेलू बोलता उपनाम रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता व दादा का सही नाम रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल है। उपस्थित द्वारा बताये अनुसार प्रसादी पुत्र मांगिया व रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम रहे है, जिनकी मृत्यु दिनांक 02.04.2024 हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध करवाये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जनाधार कार्ड, आदि में भी मृतक खातेदार प्रसादी पुत्र मांगिया का नाम रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल दर्ज है। अतः उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी अनुसार व दस्तावेजात मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 227, 228, व 229 में खातेदार का नाम प्रसादी पुत्र मांगिया के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल शुद्ध किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता व दादा का बोलता नाम प्रसादी पुत्र मांगिया सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण के पिता व दादा का सही नाम रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः स्वयं प्रार्थीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के
धार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से
कार किया जाता है तथा ग्राम बास बिवाई पटवार हल्का बिवाई तहसील बांदीकुई जिला
ा के खाता संख्या नया 227 पुराना 221 कुल किता 02 रकबा 0.25 है0 हिस्सा 5/96,
संख्या नया 228 पुराना 222 कुल किता 01 रकबा 0.04 है0 हिस्सा 1/12 व खाता
नया 229 पुराना 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 हिस्सा 1/48 की राजस्व
जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता व दादा का नाम प्रसादी पुत्र मांगिया के स्थान पर
द पुत्र मांगीलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बांदीकुई तदअनुसार
रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर
पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय
क 14.08.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

14.8.25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी